

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

दीदीबाई बनाम सुबान मोहम्मद

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 139/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>दीदीबाई w/o दीधूलाल तेली, बगरी पत्नी स्व. के.म.श.जी तेली, दीधूलाल पित नारायणजी तेली</u> श्री राजेश <u>पिता के.म.श.जी तेली</u></p> <p>निवासी- <u>धोसुडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धोसुडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1092 रकबा 0.6800</u> <u>1093 रकबा 0.4400, 1099/2885 रकबा 0.6000</u> <u>1094, 1095, 1095/2861 कीता 3 रकबा 1.9300</u> कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>3.6500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धोसुडा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1092 रकबा 0.6800, 1093 रकबा 0.4400, 1099/2885 रकबा 0.6000, 1094, 1095, 1095/2861 कीता 3 रकबा 1.9300</u> कुल कीता <u>1+1+3=6</u> रकबा <u>3.6500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000/-</u> रूपये अक्षरे <u>ले ए.जा.र. लखर</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>Sp</u> (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>